न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025 / 153 **दायरा दिनांक : 21.07.2025**

उनवान

रोड़ूलाल पुत्र श्री देवीलाल, जाति मेघवाल, निवासी रामठी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1. हरीभजन आत्मज परथा जी, जाति मीणा, निवासी टगर मोहल्ला, भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
2. स्वर्गीय सुशीला बाई पत्नी बाबूलाल जी पुत्री स्वर्गीय परथा जी, जाति मीणा मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   - 2/1. सुनील मीणा पुत्री श्री बाबूलाल जी एवं सुशीला बाई, जाति मीणा, निवासी टगर मोहल्ला भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
   - 2/2. सीमा पुत्री श्री बाबूलाल जी एवं सुशीला बाई, जाति मीणा, निवासी टगर मोहल्ला, भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
3. कन्या बाई पत्नी श्री लाल चन्द जी, जाति मेहर, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड 326502 राजस्थान
4. रामगोपाल आत्मज परथा जी, जाति मीणा, निवासी टगर मोहल्ला, भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
5. केसर बाई उर्फ केरा बाई पुत्री परथा जी, जाति मीणा, निवासी टग्र मोहल्ला, भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भवानीमण्डी, जिला झालावाड राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2/1, 2/2 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय **दिनांक : 23.03.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 77/प्रार्थना पत्र/2021 निर्णय दिनांक 02.07.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गंगपुरा, तहसील पचपहाड में खाता संख्या 232 में खसरा नं. 24 रकबा 1.2013 हेक्टर, खसरा नं. 25/1 रकबा 1.1381 हेक्टर, खसरा नं. 30 रकबा 0.6955 हेक्टर, खसरा नं. 31 रकबा 0.5696 हेक्टर, खसरा नं. 32 रकबा 0.5184 हेक्टर, खसरा नं. 033 रकबा 0.9484 हेक्टर तथा खाता सं. 23 में खसरा नं. 21 रकबा 0.1265 हेक्टर व खसरा नं. 22 रकबा 0.1391 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने निर्णय दिनांक 02.07.2025 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आदेश जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट क्रम 1, 2/1 व 2/2 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम गंगपुरा, तहसील पचपहाड में खाता संख्या 232 में खसरा नं. 24 रकबा 1.2013 हेक्टर, खसरा नं. 25/1 रकबा 1.1381 हेक्टर, खसरा नं. 30 रकबा 0.6955 हेक्टर, खसरा नं. 31 रकबा 0.5696 हेक्टर, खसरा नं. 32 रकबा 0.5184 हेक्टर, खसरा नं. 033 रकबा 0.9484 हेक्टर तथा खाता सं. 23 में खसरा नं. 21 रकबा 0.1265 हेक्टर व खसरा नं. 22 रकबा 0.1391 हेक्टर भूमि के सम्बन्ध में मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट नं. 1 रोडूलाल के खाते एवं कब्जे की वाद विषयक अपील विषयक उपरोक्त भूमि है। वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2/1 व 2/2 का उपरोक्त भूमि में कोई हक एवं अधिकार नहीं है। हित निहित नहीं है एवं कब्जा नहीं है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय अपील विषयक वाद विषयक उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में मूल वाद के निस्तारण के लिये मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादी अपीलांट वाद विषयक, अपील विषयक उक्त आराजीयात का खातेदार टीनेन्ट एवं

(पीसी रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

काबिज व्यक्ति के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वथा गलत, त्रुटिपूर्ण, मनमाना, अधिकार विहिन एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2/1, 2/2 का केस प्रथम दृष्टया नहीं है, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2/1 व 2/2 के पक्ष में नहीं है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण में ताफैसला दावा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के सम्बन्ध में आदेश के रूप में ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वथा गलत त्रुटिपूर्ण एवं नोन स्पीकिंग होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को कन्सीडर किये बिना ही आदेश जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। प्रतिवादी अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण है, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु आदेश जैर अपील की पालना को स्थगित किये जाने में है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2/1, 2/2 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करें। बसूरत दीगर प्रकरण को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे कि वह उभयपक्षों को सुनकर पुनः नियमानुसार विधि सम्मत आदेश पारित करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र सुसंगत नहीं होने से खारिज किया जाये। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.07.2025 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादी रेस्पोडेंट नं. 1

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा सत्यमेव जयते

व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने खाता संख्या 232 व 23 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। वर्तमान रेवेन्यु रिकार्ड में अपीलांट वादग्रस्त आराजी का खातेदार है व अपीलांट का ही वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है। रेस्पोडेंट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी परथा के नाम दर्ज थी तथा गलती से प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम सैटलीमेंट ने दर्ज कर दी। हमने जर्ये मुख्तारआम दावा पेश किया है। अप्रार्थी नं. 1 ने वादग्रस्त आराजी क्रय की एवं अप्रार्थी नं. 2 ने भी वादग्रस्त आराजी क्रय की है जिसकी अपील नहीं की है। सैटलमेंट संवत 2028 में हुआ तब से 2021 तक दावा नहीं किया, जिसे लगभग 20 साल से अधिक समय हो चुका है। हम वादग्रस्त आराजी के बोनाफाईड केता हैं। हम वादग्रस्त आराजी के खातेदार है हमारे खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। अपने पक्ष के समर्थन में 2015 (1) आर.आर.टी. पेज 633, 2010 (2) आर.आर.टी. पेज 910 व 1988 डब्ल्यू.एल.एल. पेज 138 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी के मामले में रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अन्तरिम स्टे आदेश जारी किया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 08.01.2024 को उक्त आदेश प्रभावोन्मुक्त कर दिया गया इसलिये अपीलान्ट द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 08.01.2024 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। जिसमें अपील खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये गये कि प्रार्थना पत्र का एक माह में गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस सुनते हुए व प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन कर यह माना कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का सेटलमेन्ट के पूर्व खातेदार था जो कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। सेटलमेन्ट के द्वारा वादग्रस्त आराजी को अनुसूचित जाति के खातेदार के नाम किस प्रकार दर्ज की गयी इसका कोई विधिक दस्तावेज नहीं है, सेटलमेन्ट को किसी भी खातेदार की भूमि, किसी अन्य खातेदार के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि वादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व, प्रार्थी जो कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है, के नाम दर्ज थी जिसे बाद में सेटलमेन्ट द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया गया, ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी के मामले मे रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रिकार्ड से पूर्णतया साबित है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट के पिता परथा, जाति मीणा नाम के व्यक्ति के खाते थी, जो मोतीलाल खटीक के नाम गलत दर्ज की गयी, खातेदार परथा की मृत्यु हो चुकी है और उसका पुत्र व पत्नी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 सुशीला की मृत्यु हो चुकी है जिसके कायम मुकामान रेस्पोडेन्ट क्रम 1/1, 1/2 है और वर्तमान मे आराजी रोडूलाल, जाति मेघवाल के खाते दर्ज है। मूल खातेदार परथा मीणा था और अवैधानिक रूप से उक्त आराजी मोतीलाल खटीक के नाम दर्ज की गयी एवं अवैधानिक रूप से उक्त आराजी अपीलान्ट रोडूलाल मेघवाल के खाते दर्ज की गयी। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजाति की आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम किसी भी आधार पर दर्ज नहीं की जा सकती। प्रस्तुत रिकार्ड से यह साबित था कि रेस्पोडेंट के पिता परथा मीणा के खाते की थी और इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के पक्ष मे है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.07.2025 के विरूद्ध माननीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.07.2025 को स्टे जारी किया गया व निर्णय दिनांक 02.07.2025 की पालना दिनांक 19.08.2025 तक स्थगित रखी गयी। परन्तु माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी प्राधिकृत अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भवानीमण्डी के द्वारा विवादित आराजी के मामले में कृषि से अकृषि प्रयोजन हेतु दिनांक 14.08.2025 को आदेश पारित कर दिया गया जबकि माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे नगर पालिका, भवानीमण्डी भी पक्षकार है और कानूनी प्रावधानों के विपरीत उक्त आदेश मे खातेदार डॉक्टर इकबाल खान को भी अंकित किया गया है, ऐसी स्थिति मे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित आराजी को किसी भी तरह से खुर्द बुर्द करने की कोशिश में था, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए माननीय न्यायालय के स्टे आदेश के बावजूद भी भूमि रूपान्तरण करवा ली और अब उक्त भूमि पर अकृषि प्रयोजन कर भूमि का स्वरूप बदलने के लिये तत्पर है। इसलिए स्पष्ट है कि विवादित आराजी कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर निर्माण कर लिया तो रेस्पोडेंट का वाद प्रस्तुत करना ही बेकार हो जावेगा और दावे के निर्णय के लिये कुछ शेष नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु आदेश भी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के पक्ष में है। आदेश प्राधिकृत अधिकारी/अधिशाषी नगर पालिका भवानीमण्डी से भी प्रतीत होता है कि अपीलांट आराजी खुर्द बुर्द करना चाहता है। आदेश प्रति 02.02.2026 पेश है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.07.2025 बहाल रखा जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा जर्ये श्री वरूण कुमार मीना मुख्तार आम एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि ग्राम गंगपुरा, तहसील पचपहाड में खाता संख्या 232 में खसरा नं. 24 रकबा 1.2013 हेक्टर, खसरा नं. 25/1 रकबा 1.1381 हेक्टर, खसरा नं. 30 रकबा 0.6955 हेक्टर, खसरा नं. 31 रकबा 0.5696 हेक्टर, खसरा नं. 32 रकबा 0.5184 हेक्टर, खसरा नं. 33 रकबा 0.9484 हेक्टर तथा खाता संख्या 23 में खसरा नं. 21 रकबा 0.1265 हेक्टर व खसरा नं. 22 रकबा 0.1391 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण 1 व 2 के पिता परथा पुत्र अमरचन्द, जाति मीना, निवासी भवानीमण्डी के खाते व कब्जे की आराजी रही है। सेटलमेंट की गलती से उक्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थी नं. 1 व प्रतिवादी नं. 2 के नाम दर्ज हो गयी है। वादग्रस्त आराजी का सेटलमेंट से पूर्व खसरा नं. 3 (साबिक) था तथा प्रार्थीगण के पिता परथा पुत्र अमरचन्द के नाम दर्ज रही है। खसरा नं. 3 के नये नम्बर सेटलमेंट के दौरान खसरा नं. 24, 25/1, 30, 31, 32, 33 व 21 व 22 बने है। परथा के चार पुत्र व दो पुत्रिया थी जिनमें से दो पुत्र अविवाहित लाऔलाद फौत हो गये। एक पुत्र हरिभजन व पुत्री सुशीला बाई प्रार्थीगण है तथा एक पुत्र रामगोपाल व पुत्री केसर बाई अप्रार्थी कम 3 व 4 है। सेटलमेंट के दौरान वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 21, 22, 30, 31, 32, 33 मोतीलाल पुत्र शंकरलाल, जाति खटीक, निवासी भवानीमण्डी व खसरा नं. 24 व 25 रतनलाल पुत्र बाला जाति मेहर निवासी भवानीमण्डी के नाम दर्ज हो गयी जो बाद में इन्होने बेचान कर दी व खसरा नं. 24, 25, 30, 31, 32, 33 की आराजी अप्रार्थी नं. 1 व खसरा नं. 21 व 22 की आराजी अप्रार्थी कम 2 के नाम दर्ज रिकार्ड हो गयी है। प्रार्थीगण जाति से मीना है व एस.टी. में आते है उनके खाते की आराजी नियमानुसार किसी भी प्रकार से एस. सी. के नाम दर्ज नही हो सकती है। प्रतिवादी कम 1 व 2 वादग्रस्त आराजी में स्वयं का नाम दर्ज होने का फायदा उठा कर अप्रार्थी कम 5 व 6 के समक्ष वादग्रस्त आराजी का स्वरूप परिवर्तन करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि दौराने वाद विवादित आराजी को रहन, बेचान, खुर्द–बुर्द नहीं करे, निर्माण कार्य नहीं करे, स्वरूप परिवर्तन नहीं करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जर्ये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात के सेटलमेंट मिसल बंदोबस्त सवंत 2028–2047 में अंकित नोट भू–राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) में अधीन बनाये गये नियमों या तत्समय प्रवृत अन्य कोई विधि के अधीन वादीगण के पूर्वजों का आवंटन या खातेदारी निरस्त कर दी गयी थी और कब्जा राजस्थान काश्तकार द्वारा ग्रहण कर सेटलमेंट बंदोबस्त द्वारा नियमानुसार मोतीलाल व ताराचन्द को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये तथा खातेदारी प्राप्त होने के बाद दोनों द्वारा विवादित आराजी का बेचान किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 की उपधारा (1) के खण्ड (2), (4), (5) व 9 के अनुसार वादीगण के पूर्वजों के अधिकार स्वतः ही समाप्त हो गये है। अतः प्रार्थीगण व मुख्तारआम के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने निर्णय दिनांक 02.07.2025 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट अप्रार्थी क्रम 1 रोडूलाल द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेसपोडेंट क्रम 1 व 2 द्वारा ग्राम गंगपुरा, तहसील पचपहाड की खाता संख्या 232 के खसरा नं. 24, 25/1, 30, 31, 32, 33 एवं खाता संख्या 23 के खसरा नं. 21, व 22 की आराजी को विवादित आराजी बताते हुए अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जर्ये मुख्तारनामा खास वरूण कुमार मीणा पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी का सैटलमेंट से पूर्व खसरा नं. (साबिक) 3 था तथा प्रार्थीगण के पिता परथा आत्मज अमरचन्द, जाति मीना, निवासी भवानीमण्डी के नाम दर्ज रही है। खसरा नं. 3 के नये नम्बर सैटलमेंट के दौरान खसरा नं. 24, 25/1, 30, 31, 32, 33 व 21 व 22 बने हैं। सैटलमेंट की गलती से उक्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थी नं. 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी संवत 2069 से 2072 ग्राम गंगपुर, तहसील पचपहाड की खाता संख्या 232 खसरा नं. 24, 25/1, 29, 30, 31, 32, 33

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कुल किता 7 कुल रकबा 5.5765 हेक्टर आराजी अपीलांट अप्रार्थी कम 1 के खाते दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 एवं 2018 से 2021 के अनुसार ग्राम गंगपुर, तहसील पचपहाड में खसरा नं. 3/3 रकबा 21.09 बीघा एवं खसरा नं. 3/4 रकबा 11.07 बीघा आराजी प्रार्थीगण के पिता परथा पुत्र अमरचन्द मीना के खाते दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन रखा है कि पूर्व खसरा नं. (साबिक) 3 की आराजी उनके पिता के नाम दर्ज रही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सैटलमेंट जमाबंदी संवत 2026 से 2047 की है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा सैटलमेंट से ठीक पहले वाली चौसाला जमाबंदी पेश नहीं की है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान विवादित खसरा नं. 21, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 33 साबिक खसरा नं. 3 मिन से बने हैं परन्तु खसरा नं. 3 मिन के किसी भी हिस्से का रकबा प्रार्थीगण के पिता परथा के खाते दर्ज रहे, खसरा नं. 3/3 रकबा 21.09 बीघा एवं खसरा नं. 3/4 रकबा 11.07 बीघा के बराबर नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा सैटलमेंट जमाबंदी संवत 2028 से 2047 से ठीक पहले की चौसाला जमाबंदी भी पेश नहीं करने के कारण प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि दौराने सैटलमेंट प्रार्थीगण के पिता के खाते की आराजी सैटलमेंट विभाग द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते दर्ज की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित हाल खसरा नम्बर व रकबा तथा प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज खसरा नं. 3/3 व 3/4 व रकबा का प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से मिलान नहीं होने एवं सैटलमेंट सम्वत 2028 से 2047 से ठीक पहले की चौसाला जमाबंदी के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा का जो आदेश पारित किया गया है वह विधि अनुरूप नहीं होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2025 खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/03/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा